न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या –103/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00042

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

1. घनश्याम आत्मज नाथू जाति चमार
2. परसराम आत्मज नाथू जाति चमार
3. रमकू पत्नि नाथू जाति चमार

निवासीगण बुडनखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत्

उपस्थित–

1. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 26/08/2025

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी नाथू आत्मज किशना को ग्राम बुडनखेडी के आराजी खसरा नम्बर 59/2 की 0.81 हे0, भूमि दिनांक 17.06.1989 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । आवंटी फोत होने पर आवंटित भूमि आवंटी के वारिसान के नाम गैर खातेदारी से दर्ज की गई । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थीया को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल प्राप्त । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई ।
3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि आवंटी अप्रार्थीगण को ग्राम बुडनखेडी तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 59/2 की रकबा 0.81 हे0 भूमि दिनांक 17.06.1989 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया जाने पर तहसीलदार रामगंजमण्डी ने आवंटन निरस्तीकरण का प्रकरण प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से यह स्पष्ट हो रहा है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं किया जा रहा है । अतः अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थीया को ग्राम बुडनखेडी तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 59/2 की रकबा 0.81 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तथा आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से यह जाहिर हो रहा है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार योग्य पाते है ।
5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के हक में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन आदेश निरस्त किया जाकर आवंटित भूमि बुडनखेडी के खसरा नम्बर 52/2 की 0.81 हे0, भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार रामगंजमण्डी उक्त भूमि का राजहित में तहवील सरकार लेवें ।
6. निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा